

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती मेरी मड़की, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-सिमडेगा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी के पद पर कार्यावधि में मनरेगा योजनान्तर्गत मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N) 2080, दिनांक 02.09.2016 के माध्यम से उपायुक्त, खूँटी का पत्रांक-469/मन0, दिनांक 26.07.2016 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती मड़की के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती मड़की को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।


4. श्रीमती मड़की द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्रीमती मड़की के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खूँटी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्रीमती मेरी मड़की, झा0प्र0से0 एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

839  
ज्ञापांक-5/आरोप-1-119/2016 का०- ...../ राँची, दिनांक ..... सितम्बर, 2016  
प्रतिलिपि- अनुलग्नकों सहित श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0,  
विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा,  
राँची/श्रीमती मेरी मड़की, झा0प्र0से0, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रंका, गढ़वा को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी,  
झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची से अनुरोध है कि कार्यवाही  
तुरन्त आरंभ कर अपना प्रतिवेदन 105 दिनों के अन्दर मूल कार्यवाही अभिलेख सॉफ्ट कॉपी के  
साथ आदेश फलक की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न कर इस विभाग को समर्पित करने की  
कृपा की जाय।


ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ांक-5/आरोप-1-119/2016 का०- .....9899/ राँची, दिनांक 18... सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि- ~~नोडल~~ पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा  
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड  
के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव  
कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, खूँटी/उपायुक्त,  
गढ़वा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग,  
झारखण्ड, राँची/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,  
खूँटी/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-6  
(चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

उपायुक्त, गढ़वा से अनुरोध है कि इस संकल्प का तामिला श्रीमती मेरी मड़की,  
झा0प्र0से0, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रंका, गढ़वा को कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को  
उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।